

२५/२/२६

अधिवक्ता अपीलान्त अनु. | प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्त
को न्यायालय की ओर से बार-२ अवधि लगायी गयी
किन्तु इनकी ओर जेई उपलब्ध नहीं हुआ। लिहाजा
उक्त अपील अदम हाजरी। अदम पेंरवी में खारिज
की जाती हैं। पत्रावली फैलण शुमार होकर बाद आवश्यक
कार्यवाही सम्बन्धित दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली